

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या—३६ / २०२०

सरिफ अंसारी

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य

..... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अरविन्द कुमार चौधरी, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्रीमती वंदना भारती, ए०पी०पी०।

०२ / १५.०१.२०२० श्री अरविन्द कुमार चौधरी, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्रीमती वंदना भारती, राज्य के लिए विद्वान ए०पी०पी० को सुना।

याचिकाकर्ता को शिकायत वाद संख्या १५०३ वर्ष २०१९ के संबंध में एक आरोपी बनाया गया है।

एक टेम्पु को रोका गया और याचिकाकर्ता एवं अन्य व्यक्ति को पकड़ा गया और ८०० लीटर देशी शराब बरामद किया गया। याचिकाकर्ता दिनांक ०७. ११.२०१९ से अभिरक्षा में है।

आरोप की प्रकृति एवं अभिरक्षा की अवधि के संदर्भ में, याचिकाकर्ता को दस हजार रुपये (10,000/- रु०) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर एवं विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, देवघर की संतुष्टि पर, शिकायत वाद संख्या १५०३ वर्ष २०१९ के संबंध में छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया०)